न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
30/18	एफएसएस एक्ट, 2006	04/07/2018

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

बनाम —आवेदक

1. वीरी सिंह हलवाई पुत्र श्री सुन्दर सिंह राजपूत निवासी संजय कालोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मसर्सः– गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार बालाजी चौक, गंगापुर सिटी ।
2. देवेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी शर्मा (फर्म मालिक एवं खाद्य पंजीकरणधारी) मैसर्स– गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार बालाजी चौक, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर —अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक 24.04.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 05/08/2017 को समय 11:45 ए0एम0 पर मैसर्स गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार बालाजी चौक ,गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर पहूँचा वहा पर वीरी सिंह हलवाई पुत्र श्री सुन्दर सिंह राजपूत निवासी संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी, (मोके पर विक्रेता) उपस्थित था ,विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ मावा पेडा लगभग 12 किलोग्राम एल्यूमिनियम ट्रे में दुकान में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ मावा पेडा 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच क्रय कर राशि 440/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये खाद्य पदार्थ मावा पेडा 2 किलोग्राम को कांच की साफ व सुखी शिशियों में बराबर –बराबर डालकर बतोर परीरक्षक 40–40 बूदें फार्मेलीन की डालकर अच्छी तरह बन्द किया , आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये , जिन पर नमूना का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया तथा नियमानुसार नमूने की कार्यवाही पूर्ण की तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर की एवं 2

प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में सलीम वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एसएसएसए/2017/2343 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 634/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2017/647 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा पेडा सबस्टेण्डर्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 634/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2017/647 दिनांक 18.08.2017 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा पेडा का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त हलवाई की मजदूरी करता है कोई विक्रय का कार्य नहीं करता है। खादय सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05/08/2017 को अभियुक्त से कुछ कागजों पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये कि हम यहां पर आये है इस बात के गवाही के हस्ताक्षर कर दो मगर अभियुक्त द्वारा खादय सुरक्षा अधिकारी को कोई मिष्ठान ,मावा, पेडा विक्रय नहीं किया , ना ही कोई विक्रय राशि खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त को दी गई। खादय सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त से खाली पेपरों पर लिये गये हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुए गलत कार्यवाही की गयी है। मैसर्स गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार बालाजी चौक गंगापुर सिटी से अभियुक्त का किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, साथ ही वकील अभियुक्त सं01 ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 2 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त सं0 2 ने फुड सेफ्टी एवं स्टेन्डर्ड एक्ट 2006 के अनुसार रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकिट बनवा रखा था, जो दिनांक 24.06.2016 से दिनांक 10.06.2017 तक बना हुआ था। लाईसेन्स अवधि समाप्त होने के बाद प्रार्थी जबाबदार ने मिष्ठान का कार्य बन्द कर दिया तथा प्राईवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। उक्त दुकान के ओसरेदार गोविन्द प्रसाद ने अपने हिस्से पर अभियुक्त वीरीसिंह हलवाई को मिष्ठान के कार्य करने हेतु दुकान मौखिक किराए पर दे दी थी, जिस पर बैठकर अभियुक्त वीरीसिंह मिष्ठान का कार्य करता था। अभियुक्त सं0 2 का उक्त दुकान के उक्त हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। दिनांक 10.06.2017 के बाद गोपीनाथ मिष्ठान भण्डार भी अस्तित्व में नहीं रही है। उक्त प्रकरण में गलत प्रकार से अभियुक्त सं0 2 के विरूद्ध कार्यवाही की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त सं01 ने उक्त कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 634/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/ 2017/647 दिनांक 18.08.2017 का अवलोकन किया गया । जिसके

A12

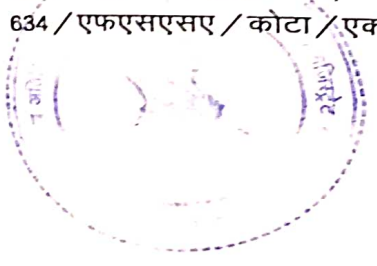

अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा पेडा सबस्टेण्डर्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है।अभियुक्त सं0 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा खाद्य पदार्थ मावा पेडा का निर्माण/विक्रय नहीं किया जा रहा हो तथा अभियुक्त सं0 2 ने अपनी बहस में अवगत कराया है कि अभियुक्त सं0 2 द्वारा लाईसेन्स अवधि समाप्त (दिनांक 10.06.2017) होने के बाद प्रार्थी जबाबदार ने मिष्ठान का कार्य बन्द कर दिया तथा प्राईवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था। लेकिन अभियुक्त सं0 2 ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त सं0 2 द्वारा लाईसेन्स अवधि समाप्त (दिनांक 10.06. 2017) होने के बाद फर्म बन्द कर मिष्ठान का कार्य बन्द कर दिया गया हो तथा यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त सं0 1 व 2 के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण सं0 1 लगायत 2 को पृथक–पृथक रूप से 5000–5000 (पांच –पांच हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी